न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 291/2016

1 श्रीमती सुप्यार देवी उम्र 38 साल पुत्री श्योनाथ स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खींवासर तहसील उदयपुरवाटी हाल आबाद टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 सज्जन सिंह पुत्र
2 तारामणी स्त्री स्व. परमेश्वरलाल जाति जाट निवासी खेदड़ा की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
3 प्रभातसिंह पुत्र झाबरसिंह जाति जाट निवासी पोषणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
4 मृतक फुलचन्द पुत्र हणमान (दौराने वाद मृत्यु)
4/1 मनकोरी स्त्री
4/2 जितेन्द्र पुत्र
4/3 सुमेर पुत्र फुलचन्द जाति समस्त जाट निवासीगण खेदड़ो की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
5 ज्यानकी स्त्री स्व. श्योनाथ
6 चन्दगी पुत्र स्व. श्योनाथ
7 महेन्द्र पुत्र स्व. श्योनाथ जाति जाट निवासीगण खेदड़ो की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
8 कमला देवी पुत्री श्योनाथ स्त्री सतवीर जाति जाट निवासी खींवासर हाल आबाद टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

9 चन्द्रावली पुत्री श्योनाथ स्त्री गणेशाराम जाति जाट निवासी खिसेड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल आबाद टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
10 तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित 20.07.2015
बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा फालोअप
कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी सज्जनसिंह आदि
बनाम प्रभातसिंह आदि मु.नं. 386/2012 दावा बाबत
स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री इकरार अली, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 386/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 413, 414, 427, 428, 744, 745, 1438/426, 1439/427 रकबा क्रमशः 1.18 है., 1.02 है., 0.04 है., 0.92 है., 0.65 है., 0.60 है., 0.27 है., कुल किता 8 कुल रकबा 5.40 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम टीटनवाड़ तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का पेश किया। जिस दावा को विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.07.2015 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट के पिता का नाम श्योनाथ पुत्र रामसुख था। इस अपील में विवादित जमीन में उक्त श्योनाथ का 1/2 हक हिस्सा था। उक्त श्योनाथ के दो पुत्र चन्दगीराम, महेन्द एवं तीन पुत्री अपीलान्ट व चन्द्रावली देवी व कमला पैदा हुई। इस अपील में विवादित जमीन के अलावा ग्राम टीटनवाड़ में जमीन हाल खसरा नम्बर 419 व 420 कुल किता 2 कुल रकबा 4.95 हैक्टेयर भी स्थित थी। अपीलान्ट के पिता श्योनाथ का देहान्त सन 1998 में हो चुका है। अपीलान्ट के पिता का देहान्त होने के बाद इस अपील में विवादित जमीन व ग्राम टीटनवाड़ में स्थित जमीन हाल खसरा नम्बर 419 व 1.76 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 420 रकबा 1.19 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने नामान्तकरण संख्या 941 दिनांक 05.08.2010 व 448 दिनांक 04.01.2002 उपरोक्त जमीन में अपीलान्ट के पिता श्योनाथ के 1/2 हक हिस्सा के संबंध में ग्राम पंचायत टीटनवाड़ द्वारा स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट के पिता श्योनाथ के देहान्त होने के बाद उपरोक्त जमीन के संबंध में नामान्तकरण संख्या 941 व 448 गलत रूप से अपीलान्ट के भाई महेन्द्र, चन्दगीराम एवं अपीलान्ट की माता ज्यानकीदेवी के हक में गलत रूप से स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट व उसकी बहिन कमला व

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

चन्द्रावली के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपील नम्बर 20/2012 एवं 19/2012 पेश की गई। जिसको विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.10.2014 एवं दिनांक 04.07.2016 स्वीकृत कर तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां श्योनाथ के वारिसान की जांच के बाद उपरोक्त अनुसार नामान्तकरण तस्दीक बाबत आदेश दिये। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कमला एवं रेस्पोडेन्ट चन्द्रावली को महेन्द्र ब चन्दगीराम तथा ज्यानकी के साथ स्व. श्योनाथ के वारिस मानते हुये विवादित जमीन में श्योनाथ के 1/2 हक हिस्से में उसके दोनों पुत्र एवं तीनों पुत्रीयां तथा स्त्री का जायज वारिस मानते हुये उक्त श्योनाथ की जमीन में उसके सभी वारिसान का संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर हिस्सा मानते हुये दिनांक 12.02.2015 एवं 12.11.2016 को तहसीलदार उदयपुरवाटी ने निर्णय पारित किया। इस अपील में विवादित जमीन में अपीलान्ट के पिता श्योनाथ का 1/2 हक हिस्सा था अपीलान्ट के पिता का देहान्त होने पर उसकी खातेदारी की जमीन उसके भाई महेन्द्र व चन्दगीराम तथा अपीलान्ट की माता के हक में गलत रूप से उत्तराधिकार का नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट कमला व चन्द्रावली भी श्योनाथ की वारिस है तथा निर्णय जैर बहस से पूर्व विचारण न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 941 व 448 की अपील में पारित निर्णय में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कमला व चन्द्रावली को श्योनाथ की वारिस माना है तथा विचाराधीन निर्णय व डिक्री के प्रकरण में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने जानबुझकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कमला व चन्द्रावली को पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया इस कारण अपीलान्ट इस प्रकरण में विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस से प्रभावित है इसलिये धारा 96 सीपीसी के तहत विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट को माननीय न्यायालय में अपील पेश करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है अपील के साथ पअील की इजाजत के बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। जानकारी अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय में विचारण के दौरान अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं थे। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट प्रभावित नहीं है। अपीलांट अपने हितों के लिए श्योनाथ के वारिसान के हिस्से में आने वाली भूमि से हिस्सा प्राप्त कर सकते है। अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किये जाते है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से ग्राम टीटनवाड़ की भूमि खसरा नम्बर 413, 414, 417, 428, 744, 745, 1438/426, 1439/427 के संदर्भ में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इन भूमियों में 1/2 का खातेदार अपीलांट का पिता श्योनाथ था। श्योनाथ की विरासत का नामांतकरण संख्या 448 ग्राम पंचायत द्वारा श्योनाथ की पत्नी एवं पुत्र चन्दगीराम एवं महेन्द्र के नाम दर्ज हुआ था। इसी आधार पर विभाजन में श्योनाथ की पत्नी एवं पुत्रों को पक्षकार बनाया गया है। श्योनाथ की पुत्रियों द्वारा नामांतकरण संख्या 448 को चुनौती दी गई थी। जिसमें में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2016 से विचाराधीन नामांतकरण अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमांड किया गया। इस आदेश की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.2016 से विवादित भूमियों में श्योनाथ की विरासत के आधार पर वर्तमान अपीलांट को

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खातेदार काश्तकार दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है। स्पष्ट है कि विवादित भूमियों में अपीलांट का हक हिस्सा है। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)